न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध प्रकरण सं.44/2021

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बालोतरा		1. श्रीमती ममता पत्नी श्री मुकेश कुमार गोलेच्छा प्रोपराइटर मैसर्स महावीर फेब्रिक्स निवासी हुकुमत गली, नयापुरा, बालोतरा, जिला बाड़मेर 2. श्री मुकेश कुमार गोलेच्छा पुत्र श्री लाल चन्द प्रोपराईटर मैसर्स नाकोडा टेक्सटाईल्स ऑफिस पता प्लाट नं0 ई 78 ए फेस प्रथम रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बालोतरा बाड़मेर निवासी हुकुमत गली नयापुरा बालोतरा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :–

1. श्री विरेन्द्रसिंह ईंदा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.10.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण श्रीमती ममता प्रोपराईटर के विरूद्ध पेश किया गया।

2. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण श्रीमती ममता प्रोपराईटर की प्रार्थना एवं व्यक्तिगत जमानत पर प्रतिभूतियों के [illegible] में कुल 2,04,97,4[illegible]/– रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। प्रार्थी ने प्रार्थी बैंक [illegible] जारी ऋण स्वीकृति की सभी शर्तों को स्वीकार किया एवं प्राप्त की गई ऋण

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

सुविधा की राशि एवं उस पर देय ब्याज वापिस मांगने पर भुगतान करना स्वीकार किया। अप्रार्थी(गण) सं. 2 द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार किया तथा प्रतिभूति के रूप मे सम्पत्ति यथा मै0 नाकोडा टेक्सटाईल प्रो0 मुकेश कुमार गोलेच्छा के नाम की इण्डस्ट्रीयल प्लोट नं0 ई 78 (ए) फेस प्रथम रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बालोतरा बाड़मेर में स्थित इण्डस्ट्रीयल जायदाद एवं निर्माण बैंक में उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 2700 वर्ग मीटर को प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बन्धक द्वारा रहन रखना स्वीकार किया एवं दिनांक 31.10.2018 व 31.12.2020 को साम्यिक बन्धक रहन किया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.03.2021 तक बकाया शेष रूपये 2,06,39,148.23/– भुगतान नही करने पर अप्रार्थी का खाता एनपीए घोषित कर ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से पंजीकृत पावती डाक द्वारा नोटिस जारी किये। प्रार्थी बैंक के पक्ष मे अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर प्रतिभूति रहन रखी गई उक्त प्रतिभू सम्पत्ति अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व मे है इस कारण प्रार्थी बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति को कब्जे मे लेना सम्भव नही है, जिसका कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

3 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 2,04,97,427.23/– ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पक्ष मे रहन रखी है एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 31.03.2021 तक कुल 2,06,39,148.23/– बकाया वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये है तथा समा[illegible] के माध्यम से प्रकाशन कर समुचित रूप से संसूचित किया जा चुका है। [illegible] कुमारी (श्रीमती) बनाम *स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, 2007 (135) कम्प.के[illegible] 604 (कर्नाटक)* के प्रकरण में जैसाकि निर्धारित किया गया हैं कि यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

जा चुका हैं तो ऋणी को मजिस्ट्रेट की ओर से धारा 14 के अधीन प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नही है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से धारा 13(2) को नोटिस विधिवत रूप से अप्रार्थीगण को संसूचित किया गया है, इसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 मे विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई आस्तियों को प्रार्थी बैंक के कब्जे मे दिलाये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 2 द्वारा प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के पक्ष मे प्रतिभूति के रूप मे रखी गई उक्त सम्पत्ति ''मै0 नाकोडा टेक्सटाईल प्रो0 मुकेश कुमार गोलेच्छा के नाम की इण्डस्ट्रीयल प्लोट नं0 ई 78 (ए) फेस प्रथम रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बालोतरा बाड़मेर में स्थित इण्डस्ट्रीयल जायदाद एवं निर्माण बैंक में उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 2700 वर्ग मीटर'' का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी को सम्भलाये जाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को आदेश दिया जाता है। इस आदेश की एक–एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर एवं प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 18.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

Lok

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:11 IST
Reason: SelfAttested